

LOK SABHA

Thursday, August 24, 1978/Bhadra 2,
1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
Central Health Service Scheme

*533. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the dispensaries of the Central Health Service Scheme in Delhi are not functioning properly;

(b) whether due to shortage of medicines therein, the patients are not generally issued the required medicines; and

(c) if so, the reasons therefor?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्र सय
में राजेंद्र कुमर शर्मा (श्री राजेंद्र प्रसाद यादव) :
(क) जी नहीं ।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि दवाइयों की कमी के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में रोगियों को ग्रामतौर पर अपेक्षित दवाइयां जारी नहीं की जाती हैं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेंद्र कुमर शर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिल्ली में इस प्रकार की कुल कितनी डिसपेंसरियों
2572 LS—1.

हैं और उनके माध्यम से कितने सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होते हैं ? क्या यह सच है कि उन डिसपेंसरियों के अंतर्गत प्रभावशाली लोग तो अच्छी प्रकार की दवाइयां ले लेते हैं, जबकि छोटे कर्मचारियों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है, मगर उन्हें दवाइयां नहीं दी जाती हैं, जिसका दुष्परिणाम यह है कि छोटे कर्मचारी कई दिनों तक बीमार पड़े रहते हैं और अच्छी दवा न मिलने के कारण काम पर नहीं जा पाते हैं ?

श्री जगन्धी प्रसाद यादव : दिल्ली में इन औषधालयों की संख्या इस प्रकार है:—
ऐलोपैथिक औषधालय : 65, जिन में 2 गश्ती औषधालय भी शामिल हैं, होमियोपैथिक औषधालय : 4 (1 युनिट सहित), प्रायु-वैदिक औषधालय : 7 (1 युनिट सहित), यूनानी : 1, प्रथम उपचार केन्द्र : 3, मनश्चिकित्सा केन्द्र : 3, चिकित्सा विशेषज्ञ केन्द्र : 37, त्वचा विशेषज्ञ केन्द्र : 14, नेत्र विशेषज्ञ केन्द्र : 9, आंख नाक गला विशेषज्ञ केन्द्र : 9, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ केन्द्र : 1, दंत चिकित्सा : 2, मनश्चिकित्सा : 4, संसद् सीध में स्वास्थ्य जांच केन्द्र : 1, प्रसूति अस्पताल, रामकृष्णपुरम : 1 ।

दिल्ली में 2,16,000 परिवार इस योजना से लाभान्वित होते हैं । जहां तक दवाओं का सम्बन्ध है, कोई छोटा हो या बड़ा, सब के लिए समान दवाओं के वितरण की व्यवस्था है । जिस दवा की आवश्यकता है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, सब को दवा समान मिलती है ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The same medicine for all!

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV: I mean, the same treatment.

जिस को जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार चाहे गरीब हो चाहे छोटा प्रफसर हो चाहे बड़ा प्रफसर हो सब को एक तरह से ट्रोटमेंट किया जाता है। जिस की जिस बीमारी के लिए जिस इलाज की आवश्यकता है उसके अनुसार उसका ट्रोटमेंट किया जाता है।

श्री राजेश्वर कुमार शर्मा : क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि इन डिस्पेंसरीज से शिकायती पत्र कितने प्राप्त हुए हैं और क्या उनकी जांच कराई गई है? यदि कराई गई है तो उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, एक वर्ष की कौन कहे मैं तीन वर्ष का हिसाब इन को दे देता हूँ।

MR. SPEAKER: He has asked only for one.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : एक लाइन का उत्तर है। 1973 में 191, 1977 में 139, 1978 में अभी तक 145 शिकायतें आई हैं। इन में से 64 शिकायतों में आपस में मेल हो गया। पांच मामलों पर शिकायत करने वालों ने कार्यवाही नहीं की। दो मामले क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों को समझाते के लिए दे दिए गए। जो मामले बचे हैं वे विचाराधीन हैं। एक मामले में चिकित्सा अधिकारी ने त्यागपत्र दे दिया। पांच मामलों में चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की गई है और पांच मामलों में अभी भी विचार किया जा रहा है।

श्री हुकूम खन् कछवाय : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि विवादों

की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या यह सही है कि दवाइयां घटिया किस्म की मिलती हैं और क्या किसी मंत्री ने किसी मंत्रालय के सेक्रेटरी को फोन कर के कहा कि इस कम्पनी की दवाई आपको जरूर लेनी है? एक वदनामशुदा कम्पनी दिल्ली की थी, जिसको ट्रायल के तौर पर आर्डर देना था लेकिन उस को पूरा आर्डर दिया गया, क्या यह जानकारी मंत्री महोदय को है? यह फोन पर आर्डर दिया गया, फोन पर कहा गया, माननीय सिकन्दर बख्त के द्वारा कि तुम्हें इनकी दवाई लेनी होगी?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, दवाई लेने की जो हमारी व्यवस्था है उसमें ऐसा है कि 50 हजार से ऊपर हुआ तो डी० जी० एस० एंड डी० से हम उसकी आपूर्ति करते हैं और उस के नीचे हुआ तो रेंट कंट्रोलर से करते हैं। अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक केस हमें दे दें तो हम उस की जांच अवश्य कराएंगे।

श्री बिनायक प्रसाद यादव : माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक साल में कितनी शिकायतें उनके यहां आई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें एम पी लोगों की कितनी शिकायतें विगत एक साल में है?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : एम पी लोगों की शिकायत प्रत्यक्ष से तो लिखी हुई है नहीं।

श्री बिनायक प्रसाद यादव : जिसने शिकायत की है वह तो स्पष्ट होगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सब की शिकायतें हैं। उसमें एम पी है या नहीं है यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन एम पी की भी शिकायतें आई हैं, मौखिक, टेलीफोन पर या लिखित शिकायतें भी आई हैं, और जो भी आई हैं उनके ऊपर हमने एक्शन लिया है।